



जनपद बिजनौर

दिनांक 28.03.2025

सोशल मीडिया पर यातायात पुलिस के उ0नि0 द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान किए गए चालान से संबंधित वीडियो के संबंध में ।

अवगत कराना है आज दिनांक 28.03.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ट्वीटर) पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यातायात पुलिस के उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार एक वाहन चालक से रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो की जांच क्षेत्राधिकारी यातायात, बिजनौर द्वारा की गयी, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आए कि "दिनांक 28.03.2025 को उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार की ड्यूटी नगर बिजनौर के चतुर्थ जोन में यातायात व्यवस्था/ वाहन चैकिंग में लगी थी। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UK04 CB1200 के चालक अमित कुमार द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसका 500 /- रु का नगद चालान किया गया था। वाहन चालक अमित कुमार से ऑडियो व वीडियो कॉल पर वार्ता की गयी तो वाहन चालक द्वारा बताया गया कि उ0नि0 प्रदीप कुमार ने उसकी गाड़ी का 500/- रु0 का चालान किया था जिसे उसके द्वारा मौके पर जमा किये जाने हेतु 500/- दिये गये थे तथा उससे कोई भी अनुचित/अवैध उगाही नहीं की गयी।

वायरल वीडियो की जांच में उ0नि0 प्रदीप कुमार द्वारा वाहन चालक से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की पुष्टि नहीं हुई है एवं लगाए गए आरोप असत्य व निराधार पाए गए। चालान की छायाप्रति संलग्न है।

उत्तर प्रदेश पुलिस - यातायात निदेशालय
नौरिस
(अपराध धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988)

सेवा में,
AFSAN AHMAD

वाहन संख्या: UK04CB1200
वाहन अवधि:
वाहन श्रेणी: Goods Carrier

वाहन पंजीयन की
वैधता अवधि:
वाहन स्वामी का
मोबाइल: 9837502957

इंजन संख्या:
चेसिस संख्या:
वाहन स्वामी का
नाम: AFSAN AHMAD
वाहन स्वामी के पिता JAMIR
का नाम:
वाहन स्वामी का
पता: C/O SAHIDA, NEAR MALKIYA,
MADARSA, KHATARI,, RAMNAGAR
,RANGE, Nainital-244715

यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण

तिथि / समय	स्थान	उल्लंघन का विवरण	शमन शुल्क (रु.)
28-03-2025 11:50:12	94CP+8VH, Chahashrin Rd, Chahashrin, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India	1: Violation of traffic rules by the driver except the offences mentioned in Section in 184 a, b, d, e, f and without any indication changing the alignment (MV act 1988 S 119 R/W S 177 mentioned in section 184 a,b,d,e,f)	500/-

उपलब्ध अभिलेखों में उक्त वाहन का स्वामित्व आपको प्रदर्शित है। अतःएव इस नोटिस के माध्यम से वाहन द्वारा किये गए यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों के उल्लंघन सम्बंधित आरोपों की स्वीकारोक्ति की दशा में निर्धारित शमन प्रक्रिया का अनुसरण कर 3 दिन के अन्दर शमन कराये। अन्यथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

शमन शुल्क का भुगतान आप इन माध्यमों द्वारा कर सकते हैं -
1 ऑनलाइन: <https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan>
2 स्थानीय भुगतान केन्द्र: Bijnor

सौजन्य से,
प्रभारी, यातायात प्रवर्तन केन्द्र
जिला :Bijnor



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 28.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 88/25 धारा 137(2)/64(1)/87 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.03.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि सागर पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम नेजेवाली गावडी थाना नगीना जनपद बिजनौर वादिया की 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 88/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सागर उपरोक्त पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) / 87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

दिनांक 28.03.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त सागर पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम नेजेवाली गावडी थाना नगीना बिजनौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सागर पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम नेजेवाली गावडी थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.का0 66 विवेक कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर